न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर, जिला–अजमेर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता ,(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी वाद संख्या 308/2025
सी.एन.आर.नम्बर RJAJ010043972025

बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉडी कारपोरेट कान्सटीटयुट अन्डर बैंकिंग कम्पनीज एक्ट 1970) जिसका मुख्य कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा मे स्थित व कार्यरत है, जिसकी एक शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा, रेल्वे केम्पस, अजमेर में स्थित व कार्यरत है। वाद कार्यवाही जरिए मुख्य प्रबंधक अविनाश कुमार।

–– वादी बैंक

बनाम

1. श्रीमती ज्योति सुनिया पत्नी श्री अभिषेक सुनिया,
2. अभिषेक सुनिया पुत्र श्री रमेश कुमार,

निवासीगण–मकान नम्बर 36, माताश्री कुंज, बृज विहार कालोनी, जे.पी. नगर, मदार, अजमेर।

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 1 सपठित धारा 151
व्यवहार प्रक्रिया संहिता

उपस्थित:
1. श्री अनिल तोलानी, अधिवक्ता, वादी बैंक की ओर से।
2. प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही।

निर्णय **दिनांक: 07.08.2026**

1. वादी बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्य.प्र.सं. बाबत् वसूली न्यायालय में दिनांक 08.12.2025 को प्रस्तुत किये जाने पर वाद को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एक पंजीकृत संस्थान है, जो बैंकिंग कम्पनीज एक्ट 1970 के तहत पंजीकृत है, जिसका मुख्य कार्यालय मांडवी, बड़ौदा मे स्थित व कार्यरत है। वादी बैंक की अपनी शाखाओ में से एक शाखा रेल्वे केम्पस, अजमेर में भी स्थित व कार्यरत है। यह वाद जरिए इसके अधिकृत अधिकारी मुख्य प्रबंधक अविनाश कुमार के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके लिए उनके पक्ष मे अधिकार पत्र जारी किया गया है।

वादपत्र में आगे अभिकथित किया कि प्रतिवादी ने दिनांक 23.10.2020 को वादी बैंक के समक्ष रूपये 8,48,000/– हयुंदई वेन्यू 1.2 एस.टी. पेट्रोल कार क्रय करने हेतु

Authenticated Document

आवेदन किया। उक्त क्रम में पैरडाइस औटोकोर्प प्राइवेट लिमिटेड (शिवम हयुंदई) का 9,45,000/–रूपये का कॉटेशन दिया। उक्त कॉटेशन के पश्चात वादी बैंक ने प्रतिवादीगण को दिनांक 23.10.2020 को कार ऋण 8,48,000/–रूपये 7.90 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 84 मासिक किश्त 13,175/–रूपये में अदा करना था, स्वीकृत किया। वादी बैंक के समक्ष प्रतिवादीगण ने ऋण बाबत दस्तावेज LDOC 1, LDOC 3 A, LDOC 57, LDOC 72, Declaration cum undertaking cum authority मय मुद्रांक एवं LDOC 20, पर दिनांक 23.10.2020 को एवं LDOC 59 पर दिनांक 13.03.2023 को अपनी स्वेच्छा व रजामंदी से पढ़ समझ कर हस्ताक्षर किए। प्रतिवादीगण ऋण खाता संख्या 12850600003222 में ई.एम.आई. व ऋण चुकाने में अत्यधिक अनियमित होकर व्यतिक्रम किया। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 31.01.2024 को रुपए 41,000/– अदा किए जाने के उपरांत कोई राशि अदा नहीं की। प्रतिवादीगण में 5,70,181.36/– रूपये शेष होने से वादी बैंक प्रतिवादीगण से शेष बकाया राशि मय ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी बैंक के द्वारा प्रतिवादीगण को बकाया ऋण अदायगी हेतु कई बार सूचित किया गया, जिस पर दिनांक 13.03.2023 को प्रतिवादीगण वादी बैंक के समक्ष उपस्थित होकर ऋण पावती पत्र पर हस्ताक्षर कर ऋण बकाया होने की स्वीकृति देते हुए शीघ्र ही ऋण अदायगी का आश्वासन दिया, परन्तु ऋण राशि अदा नहीं की गई। राशि अदा नहीं किये जाने पर वादी बैंक ने दिनांक 20.10.2023 को प्रतिवादीगण को सूचना पत्र प्रेषित कर सूचित किया कि 15 दिवस के भीतर बकाया राशि का भुगतान करें, उसके बावजूद भी दिनांक 01.12.2023 के पश्चात कोई राशि जमा नहीं कराई गई। प्रतिवादीगण में वादी बैंक का दिनांक 15.11.2025 तक ऋण राशि बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रुपए 5,70,181.36/– व ब्याज शेष है। सूचना पत्र प्रेषित किये जाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण ने बकाया ऋण राशि अदा नहीं की, इसलिए वाद कारण उत्पन्न होने से निर्धारित न्याय शुल्क पर वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी बैंक प्रतिवादीगण से 5,70,181.36/–रूपये की राशि दावा दायरी से मय ब्याज दर 7.90 प्रतिशत वार्षिक दर से मासिक गणना के आधार पर तावसूली चक्रवृद्धि ब्याज मय वाद व्यय प्राप्त करने का अधिकारी होने से वाद पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रतिवादीगण बावजूद तामील न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जिस पर दिनांक 30.03.2026 को उनके विरूद्ध कार्यवाई एक तरफा अमल में लायी गयी और साक्ष्य वादी एक तरफा में पीड–1 अविनाश कुमार, मुख्य प्रबन्धक, शाखा रेल्वे कैम्पस, बैंक ऑफ बड़ौदा, अजमेर की साक्ष्य लेखबद्ध की गई तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 12 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया।

Authenticated Document

4. बहस वादी बैंक एक तरफा सुनी गई। इस वाद के निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्नलिखित बिन्दु पर विचार करना है–

1– '' आया प्रतिवादीगण ने वादी बैंक से 8,48,000/–रूपये का ऋण ब्याज पर प्राप्त किया, जिसके पेटे ब्याज व अन्य खर्चे सहित कुल राशि 5,70,181.36/–रूपये बकाया है। उक्त राशि वादी बैंक प्रतिवादीगण से मय ब्याज पृथक–पृथक या संयुक्त रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है? ''

2– अनुतोष?

<u>बिन्दु संख्या–1</u>

5. उक्त बिन्दु को सिद्ध करने का भार वादी बैंक पर है। इस बिन्दु के सम्बन्ध में वादी बैंक की ओर से पीड–1 अविनाश कुमार, मुख्य प्रबन्धक, शाखा रेल्वे कैम्पस, बैंक ऑफ बड़ौदा, अजमेर ने अपनी साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के रूप में शपथ–पत्र प्रस्तुत कर उसमें वादपत्र में अंकित अभिवचनों की अक्षरशः पुष्टि करते हुए कथन किया कि वह वादी बैंक की रेल्वे कॅम्पस शाखा में मुख्य प्रबंधक के पद पर पदस्थापित होकर, उसके द्वारा हस्तगत वाद पेश किया गया है। वाद पत्र में अंकित तथ्य बैंक रिकार्ड के आधार पर अंकित किए गए है। उसे वादी बैंक के द्वारा अधिकार पत्र दिया गया है। वादी बैंक एक पंजीकृत संस्थान है, जो बैंकिंग कम्पनीज एक्ट 1970 के तहत पंजीकृत है, जिसका मुख्य कार्यालय मांडवी, बड़ौदा में स्थित होकर संचालित है। वादी बैंक की अपनी शाखाओ में से एक शाखा रेल्वे केम्पस, अजमेर में भी स्थित होकर संचालित है। यह वाद उसके द्वारा जरिए बैंक के अधिकृत अधिकारी मुख्य प्रबंधक की हैसियत से प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए उसके पक्ष मे अधिकार पत्र जारी किया गया है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 23.10.2020 को वादी बैंक के समक्ष रुपये 8,48,000/– (अक्षरे आठ लाख अड़तालीस हजार रुपये) क्रय करने कार ह्युंदई वेन्यू 1.2 एस.टी. पेट्रोल हेतु आवेदन करने पर पैरडाइस औटोकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड (शिवम ह्युंदई) का कॉटेशन रुपए 9,45,000/– दिया। वादी बैंक ने प्रतिवादीगण को दिनांक 23.10.2020 को कार ऋण 8,48,000/– रुपये का 7.90 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, जो 84 मासिक किश्तों पर 13,175/– में अदा करना था, स्वीकृत किया। प्रतिवादगण ने ऋण बाबत दस्तावेज LDOC 1, LDOC 3 A, LDOC 57, LDOC 72, Declaration cum undertaking cum authority मय मुद्रांक एवं LDOC 20, पर दिनांक 23.10.2020 को एवं LDOC 59 पर दिनांक 13.03.2023 को अपनी स्वेच्छा व रजामंदी से पढ़ समझ कर हस्ताक्षर किए। प्रतिवादीगण ऋण खाता संख्या 12850600003222 में ई.एम.आई. व ऋण चुकाने में अत्यधिक अनियमित रहते हुए व्यतिक्रम किया। प्रतिवादीगण द्वारा 31.01.2024 को रुपए 41,000/– अदा किए जाने के पश्चात कोई राशि अदा नहीं की है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध

Authenticated Document

5,70,181.36/– बकाया होने के कारण वादी बैंक प्रतिवादीगण से बकाया राशि मय ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण को बकाया ऋण अदायगी हेतु कई बार सूचित किया गया, जिस पर दिनांक 13.03.2023 को प्रतिवादीगण वादी बैंक के समक्ष उपस्थित हुए और उनके द्वारा ऋण पावती पत्र पर हस्ताक्षर कर ऋण बकाया होने की स्वीकृति दी जाकर शीघ्र ही ऋण अदायगी का आश्वासन दिया, परंतु ऋण राशि अदा नहीं की गई, जिस पर वादी बैंक ने दिनांक 20.10.2023 को प्रतिवादीगण को 15 दिवस के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने हेतु सूचित किया। वादी बैंक प्रतिवादीगण से दिनांक 15.11.2025 तक ऋण राशि बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रुपए 5,70,181.36/– व ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 अधिकार पत्र, प्रदर्श–2 ऋण आवेदन पत्र, प्रदर्श–3 पैराडाईज ऑटो कॉर्प प्राईवेट लिमिटेड का कॉटेशन, प्रदर्श–4 ऋण स्वीकृति पत्र, प्रदर्श–5 एलडीओसी–1, प्रदर्श–6 एलडीओसी–3 (ए), प्रदर्श–7 एलडीओसी–57, प्रदर्श–8 एलडीओसी–72, प्रदर्श–9 डिक्लेरेशन कम अण्डरटेकिंग कम ऑथोरिटी, प्रदर्श–10 एलडीओसी–20, प्रदर्श–11 एलडीओसी–59 व प्रदर्श–12 ऋणी प्रतिवादीगण को लोन स्टेटमेंट को प्रदर्शित कराया तथा शपथ–पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर होना कथन किया और कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

6. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य परस्पर एक–दूसरे की पुष्टिकारक है। ऋण आवेदन पत्र, पैराडाइज ऑटोकॉर्प प्राईवेट लिमिटेड का कॉटेशन, ऋण स्वीकृति पत्र, LDOC1 (अटेस्टेशन मेमो), LDOC 3(a) (डिमांड प्रॉमिसरी नोट), Letter of Installment with Acceleration Clause, letter of authority to make payment directly to the dealers, Declaration–cum–Undertakings–cum–Authority, LDOC 20 (Instrument of Hypothecation of Vehicle) , ऋण पावती पत्र, लोन स्टेटमेंट आदि सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजात साक्ष्य में प्रदर्शित हुए है और उनकी पुष्टि की गई है। अतः उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय यह पर्याप्त रूप से साबित पाता है कि प्रतिवादीगण ने वादी बैंक के समक्ष दिनांक 23.10.2020 को राशि 8,48,000/– हयुंदई वेन्यू 1.2 एस.टी. पेट्रोल कार क्रय करने हेतु आवेदन व पैरडाइस औटोकोर्प प्राइवेट लिमिटेड (शिवम हयुंदई) का 9,45,000/–रूपये का कॉटेशन पेश किया, जिस पर वादी बैंक ने कार ऋण 8,48,000/–रूपये 7.90 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 84 मासिक किश्त 13,175/–रूपये पर स्वीकृत किया। प्रतिवादीगण द्वारा समस्त दस्तावेजात निष्पादित किये गये। प्रतिवादीगण का ऋण खाता संख्या–12850600003222 खोला गया, जिसमें दिनांक 31.01.2024 तक का ब्याज जोड़ा गया है। इसके बाद के खर्चे व अन्य ब्याज राशि

Authenticated Document

कुल मिलाकर 5,70,181.36/–रूपये शेष बकाया होने की साक्ष्य पत्रावली पर आयी है, जिसका कोई खण्डन नहीं है। अतः वादी बैंक की ओर से पेश किये गये साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी बैंक की प्रतितवादीगण में कार लोन की राशि 5,70,181.36/–रूपये बकाया होना साबित पाई जाती है, जो मय ब्याज वादी बैंक प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। तद्नुसार वादी बैंक बिन्दु संख्या–1 को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है।

बिन्दु संख्या–2 अनुतोष–

7. बिन्दु संख्या–1 में किये गये विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी बैंक प्रतिवादीगण से कार ऋण की शेष राशि 5,70,181.36/–रूपये मय ब्याज व वाद व्यय प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी बैंक का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण मय खर्चा एकपक्षीय कार्यवाही में डिक्री किए जाने योग्य है।

आदेश

8. परिणामतः वाद वादी बैंक विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् रूपये वसूली एकपक्षीय कार्यवाही में सव्यय निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है–

(1) वादी बैंक प्रतिवादीगण से संयुक्त अथवा पृथक–पृथक रूप से राशि 5,70,181.36/–रूपये (पांच लाख सतर हजार एक सौ इक्यासी रूपये छत्तीस पैसे) प्राप्त करने का अधिकारी है।

(2) वादी बैंक प्रतिवादीगण से संयुक्त अथवा पृथक–पृथक रूप से राशि 5,70,181.36/–रूपये (पांच लाख सतर हजार एक सौ इक्यासी रूपये छत्तीस पैसे) पर वाद प्रस्तुति की दिनांक 08.12.2025 से ता–वसूली 7.00 प्रतिशत वार्षिक दर से मासिक गणना के आधार पर साधारण ब्याज राशि भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

(3) वादी बैंक प्रतिवादीगण से वाद व्यय भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

तद्नुसार पर्चा डिक्री बनाया जावे।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 07.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

DINESH MUNDRA
Digitally signed by DINESH MUNDRA
Date: 2026.08.07 15:31:42 +0530
Authenticated Document